

मानसिक दुर्बलता को न तो जाड़ मूल से जघट किया जा सकता है और न उनलोगों को सामान्य बनाने का दावा किया जा सकता है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा उन्हें समाज में सम्मान के ब्योसत हिस्से प्रोत्साहित किया जाता है। माता-पिता के प्रशिक्षण एवं संवधानियों से बच्चों में श्रमायी लाभ की सम्भावना रहती है। जिन मानसिक दुर्बलों की कुछे कुछ अधिक होती है, उन्हें समाज में किसी तरह स्वासम्भी जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे लोगों को शुरू में नज्वांजु देने से बची निराशा होती है। लेकिन शिक्षक को धैर्य के साथ इनलोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:-

① Parents' education :- मानसिक दुर्बलों के माता-पिता को स्वीकार करना चाहिए कि उनके बच्चों की मानसिक क्षमता सीमित है। उनमें श्रमायी मानसिक दोष है तथा इसाज से उनके सुखार्थी आशा कम है - ऐसी परिस्थिति में बहुत धैर्य और संतुलित ढंग से इनलोगों को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। सामान्य शिक्षा पढ़ाते से इनलोगों को कोई विशेष लाभ नहीं होता, इसीलिए उनलोगों को विशिष्ट ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए।

② Home Training :- मानसिक दुर्बल अधिचारांतः घर में ही रहते हैं। उन्हें घर से बाहर रखा भी नहीं जा सकता। अतः परिवार वालों को उनके साथ ज्याद एवं सहानुभूति रखना चाहिए। परिवार में श्वासकर माता का व्यवहार मानसिक दुर्बलों को अधिक प्रभावित करता है। इसीलिए माँ को सामान्य तथा मानसिक दुर्बल बच्चों में मदद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इन बच्चों में और भी दोष आ जाते हैं।

### ③ School Training :-

गैजा जाए ती विशिष्ट ढंग से प्रशिक्षित शिक्षकों को इनकी शिक्षा के लिए भार सौंपना चाहिए। कारण यह है कि सामान्य ढंग से शिक्षा देना इनके लिए लाभदायक नहीं होता है। अतः वैयक्तिक विशेष ढंग से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा ही इन बच्चों की शिक्षा लेनी चाहिए।

### ④ Vocational Training :-

मानसिक दुर्बल व्यक्तियों को समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण से वे कुछ कामकाज करते योग्य हो जाते हैं। और इस तरह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहकर स्वासम्बी बन सकते हैं। इसके वे दूसरों पर बोझ नहीं बनते।

### ⑤ विशेष संस्थाओं में भर्ती :- (Admission in Special Centre)

मानसिक दुर्बलों को कुछ खास संस्थाओं में भर्ती किया जा सकता है। कुछ मानसिक दुर्बल इन संस्थाओं में प्रशिक्षण पाकर अपने दोषों से मुक्त होकर चले जाते हैं। तथा कुछ लोग जीवन भर इन्हीं संस्थाओं में रह जाते हैं। ऐसी संस्थाएँ बहुत कम हैं तथा प्रवेश पाने के इच्छुक अल्पसंख्यक लोग हैं। और ऐसे सभी लोगों को गुंजाइश इन संस्थाओं में नहीं हो पाती है।

### ⑥ विवाह पर प्रतिबन्ध (Restriction on Marriage) :-

मानसिक दुर्बल व्यक्तियों को विवाह होने से जो बच्ये वेदा होंगे, वे अविवाहित मानसिक रूप से दुर्बल होंगे। अतः इनके विवाह होने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इनको समाज में संख्या बढ़ती चली जाएगी और समाज पर बोझ भी बढ़ जाएगा। यों ही बहुत से मानसिक दुर्बल शादी की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें भी समाज और राष्ट्र के हित की दृष्टि से विवाह नहीं करने देना चाहिए।